सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 05, सोमवार, *शाके* 1945-जून 26, 2023 *Asadha 05, Monday , Saka 1945- June 26, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 21, 2023

संख्या प.31(1)गृह-9/2023 :-मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा नीचे बताए गये ग्राम के वर्णित क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें 31 मार्च 2047 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विति हेतु 114वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, खाजूवाला, जिला बीकानेर को स्माल आर्म्स फायरिंग रेंज हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

क्षेत्र का विवरण

ग्राम माधोडिग्गी, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर के चक 11 केजेडी मु0नं0 143/24 किला नं0 5,6,7,14 की कुल 04.00 बीघा रकबा।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।